

(90)



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रं. /पी.वी.आर./2016/

~~100~~ 9243-PB0216  
22

१. श्री-महात्मा काली (कुटा)  
०९. ॥ १६ ॥

*[Signature]*  
9-11-16

487  
9.11.1b

सादिक अली (फ्रोत) वारिसान

1. साविर अली खान
  2. आसिफ अली खान
  3. जावेद अली खान
  4. फारूख अली खान
  5. शाकिर अली खान
  6. शर्मिला अली
  7. सर्वीजा खान

समस्त पुत्रगण एवं पुत्रीगण स्व. श्री  
सादिक अली खां निवासीगण हकीमत  
अनवर खां साहब की बगिया, चीनी  
कारखाने के सामने आमखो रोडव कप्पू  
लश्कर ग्वालियर हाल रामाजी का पुरा  
कटीघाटी ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर  
आनेककाण

३०८

1. मो. सुलेमान खां पुत्र स्व. श्री मो. याकूब खान निवासी-न्यू दुर्गा कॉलोनी गुना
  2. मैसर्स इंटीग्रेटेड डॉट कॉम सर्विसेज प्रा. लि. जर्बे डायरेक्टर श्रीमती जानकी देवी झंवर पत्नी श्री दोमादर दास झंवर निवासी-सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर
  3. मुनी बेगम पत्नी मो. जब्बार खां निवासी हकीम जी की बगिया आमद्दो लश्कर ग्वालियर (फॉर्मल रेस्पोन्डेन्ट)
  4. साविर अली खां पुत्र सादिक अली खान निवासी-रामाजी का पुरा ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर

.....अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी प्रकरण को पुनः नंबर पर लिए जाने बाबत ।

श्रीमान् जी

आनेदकगणों का पार्थना फव्व निमानसार श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदकगणों का निगरानी प्रकरण श्रीमान् जी के त्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 03.11.2016 को नियत था। जिसका निगरानी प्रकरण क्र. 2072- पी.वी.आर./2011/निगरानी है।

क्रमशः... २

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश चत्तालियर

७२५३

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

-पीछीआर/2016

जिला चत्तालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन

कार्यवाही तथा आदेश

प्रशंसकर्ता एवं अधिकारी  
आदि के हस्ताक्षर

संख्या तथा दिनांक	प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन	अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ -पीछीआर/2016	जिला चत्तालियर
15-12-16	<p>आवेदक की ओर से श्री पी०एन०शर्मा अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री विवेक श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । तर्क सुने गये आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 3-11-16 को प्रकरण कॉर्ज लिस्ट में दर्ज नहीं था, इस कारण न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद भी भाग नहीं ले सके । अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक द्वारा विरोध में कहा गया कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा पेशी नोट की गई है इसलिये कॉर्जलिस्ट में प्रकरण दर्ज नहीं होने का आधार आवेदक के अभिभाषक नहीं ले सकते हैं और न ही इसका लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा समयावधि में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अनुपस्थिति का कारण मान्य करते हुये मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>		